अनुमंडल कार्यालय, सदर, गया
(कल्याण शाखा)

बिहार सरकार

विकास मित्र का नियोजन हेतु अल्पकालिन सूचना।

सदर अनुमंडल, गया के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में विकास मित्र के रिक्ति पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है। आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्रत्येक कार्य दिवस को संबंधित प्रखंड कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत में जमा किया जा सकेगा।

क्रमांक	गतिविधि	अवधि
1	संबधित प्रखंड/नगर निकाय मे आवेदन प्राप्त करना	18.08.2022–08.09.2022 तक
2	मेघा सूची तैयार करना तथा प्रकाशन करना	12.09.2022
3	आपत्ति प्राप्त करना एवं निराकरण	15.09.2022–24.09.2022 तक
4	अन्तिम चयन सूची का प्रकाशन	12.10.2022
5	नियोजन पत्र वितरण/शपथ ग्रहण/उन्मुखीकरण	27.10.2022

रिक्तियों की विवरणी

क्र0सं0	प्रखंड/शहरी निकाय	रिक्तियों की सं0	पंचायत/वार्ड का नाम	जाति बहुलता	आरक्षण कोटि
01	नगर प्रखंड	01	धनसीर	भूईयाँ	महिला
02	गया नगर निगम	01	02	भूईयाँ	सामान्य
		01	05	भूईयाँ	महिला
		01	11	भूईयाँ	महिला
		01	20,21,22,23	भूईयाँ	सामान्य
		01	24,25,26,27	भूईयाँ	महिला
		01	28	भूईयाँ	महिला
		01	34,35,36,37	भूईयाँ	महिला
		01	38,39,40	भूईयाँ	महिला
03	मानपुर प्रखंड	01	ननौक	भूईयाँ	सामान्य
	बेलागंज प्रखंड	01	चिरैला	भूईयाँ	सामान्य
		01	रौना	भूईयाँ	सामान्य
		01	खनेटा	भूईयाँ	सामान्य
		01	एरकी	भूईयाँ	महिला
		01	साकिर विगहा	भूईयाँ	सामान्य
05	बोधगया प्रखंड	01	मोराटाल	भूईयाँ	महिला
06	नगर परिषद, बोधगया	01	02	भूईयाँ	सामान्य
07	वजीरगंज प्रखंड	01	बिशुनपुर	भूईयाँ	सामान्य
08	फतेहपुर प्रखंड	01	घरहरा कला	भूईयाँ	महिला

चयन हेतु अर्हताः–

1. आवेदक/आवेदिका की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के अनुरूप किया जाएगा तथा समान अंक रहने पर ज्यादा उम्र वाले

अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी को अतिरिक्त लाभ नही दिया जाएगा। मैट्रिक पास अभ्यर्थी नही रहने पर नन मैट्रिक, नौवी पास, आठवी पास, सातवीं पास, छठी पास, एवं पाँचवी पास, का नियोजन किया जाएगा।

2. महिलाओं में शैक्षणिक योग्यता नही मिलने पर साक्षर रहने पर भी चयन किया जा सकेगा बशर्ते वे अक्षर आंचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा वे सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय महिला है।

3. महादलित अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।

4. आवेदक महादलित परिवार से होगा। पंचायत/वार्ड समुह(शहरी) में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी उसी जाति के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

5. जिस पंचायत/वार्ड/वार्ड समुह (शहरी) में विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा एवं चयन किया जाएगा।

6. यह नियुक्ति अनुबंध पर आधारित है, जिसे सरकारी कर्मचारी नही समझा जायेगा।

चयन प्रक्रियाः–

1. आवेदन विहित प्रपत्र में होना चाहिए। विहित प्रपत्र संबंधित प्रखंड कार्यालय/नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पंचायत से प्राप्त किया जा सकता है।

2. आवेदन पत्र जमा करने का स्थान संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, का कार्यालय/शहरी क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम गया/नगर परिषद बोधगया का कार्यालय।

आवेदन के साथ आवश्यक कागजात

(A) मैट्रिक/समकक्ष का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।

नन मैट्रिक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/समकक्ष से निर्गत प्रवेश पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति। आठवी से पांचवी पास तक के अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(B) जाति प्रमाण पत्र आर0टी0पी0एस0 द्वारा निर्गत।

(C) स्थायी निवास प्रमाण पत्र (आर0टी0पी0एस0 द्वारा निर्गत)

7. प्रत्येक पंचायत/वार्ड/वार्ड समुह में महादलित जाति की बहुलता पूर्व से निर्धारित है।

8. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर गया की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन मेधा अंक के आधार पर किया जाएगा।

9. विशेष जानकारी के लिए वेवसाईट www.mahadalitmission.org पर देख सकेंगे।

17.08.2022

अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, गया।